राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	चन्द्रप्रकाश बनाम श्रीनारायण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	419/2019	
13/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 15/04/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
15/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट भम्भौरी में निराकरण कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 01/06/2018 पारित करते हुये तहसीलदार जयपुर को विवादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम भम्भौरी, पटवार क्षेत्र भम्भौरी, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र माणवा, तहसील व जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि खाता संख्या नया 318 पुराना 302 के खसरा नम्बर 458, खसरा नम्बर 461, 465, 466 रकबा 28 बीघा 06 बिस्वा, खाता संख्या नया 282 पुराना 266 के खसरा नम्बर 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 563/2 रकबा 40 बीघा 09 बिस्वा का पक्षकारो की मौजूदगी में विभाजन नियमो के तहत राजस्व रिकार्ड हिस्सेनुसार मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 01/06/2018 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियां एवं प्रावधानों की अनुपालना करते हुये माननीय राजस्व मण्डल के विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना करते हुये अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है। इसके अतिरिक्त मियाद का लाभ प्राप्त करने हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में सरसरी तौर पर अंकित भी स्वीकार योग्य जाहिर नही होते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त एवं आवश्यक प्रतीत नही होता है। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	चन्द्रप्रकाश बनाम श्रीनारायण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	419/2019	

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 01/06/2018 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर